न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 78/2025

अनवान : —

1. जसवीर कौर पत्नी जसवन्त सिंह जाति सुथार निवासी बशीर त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— प्रार्थी

बनाम

1. प्रकाश सिंह पुत्र जसवंतसिंह जाति सुथार निवासी बशीर त0 टिब्बी त0 हनुमानगढ।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी

—अप्रार्थीगण

प्रा.पत्र बाबत अस्थाई निशेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम

श्री सुभाष गर्ग प्रार्थी
श्री जयनारायण शर्मा अप्रार्थी सं0 1

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि रोही मौजा चक न0 12 एफटीपी ए के खाता सं0 36/30 की कुल 2.699है0 प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2 ता 3 के नाम बहिस्सा बराबर व इसी प्रकार चक 12 एफटीपी ए के खाता सं0 25/20 की कुल 2.699है0 व इसी चक 12 एफटीपी ए के खाता सं0 122/22 की कुल 2.698है0 में प्रतिवादी सं0 5 ता 7 प्रत्येक 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 8 ता 10 प्रत्येक 1/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी संयक्त खाता की मुश्तर्का खातेदारी है। उक्त वर्णित आराजी पूर्व में प्रार्थीया व अपार्थी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2 ता 10 के पूर्वजों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जो विभाजन के बाद प्रार्थीया व अप्रार्थी स0 1 तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 10 के नाम से दर्ज हो गई लेकिन चक 12 एफटीपी ए के प0न0 194/242 मु0न0 7 के किला न0 11 ता 24 के प0न0 194/243 के मु0न0 19 के किला न0 1 की कृषि भूमि को लेकर प्रार्थीया वअप्रार्थीगण सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2 ता 10 का आपस में पुनः घरू बटवारा काफी अर्सा पूर्व हुआ, बटंवारा अनुसार ही प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2 ता 10 अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। बंटवारा में अप्रार्थी सं0 1 को चक 12एफटीपी ए के प0न0 194/242 के मु0न0 7 के किला न0 22/0 186, 23, 24 की भूमि प्राप्त हुई तथा शेष आराजी चक 12 एफटीपी ए के प0न0 194/242 मु0न0 7 के किला न0 11 ता 21 , 22/0.067है0 प0न0 194/243 के मु0न0 19 के किला न0 1 प्रार्थीया व प्रतिवादी सं0 2 ता 10 को प्राप्त हुई लेकिन राजस्व

Scanned with CamScanner

रिकार्ड मे उक्त आराजी आज भी संयुक्त खाता में अप्रार्थीगण सं0 1 व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 10 के साथ संयुक्त चली आ रही है। उक्त आराजी संयुक्त खाता में दर्ज रहने से प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 व प्रतिवादी स0 2 ता 10 की आराजी का खातातकसीम नही होने से अप्रार्थी सं0 1 व अप्रार्थी के साथ आपस में रकमराज जमा करवाने तथा काश्त के समय सीमा का विवाद बना रहता है। अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज आराजी को बिना खाता विभाजन करवाये रहन, बैय, तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने पर अमादा है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में होने के कारण अप्रार्थी सं0 1 को ताफैसला वाद पाबन्द किया जावें कि वह उपरोक्त वर्णित आराजी के रिकार्ड व मौका की यथा स्थिति बनायें रखे व प्रार्थीया व प्रतिवादी सं 2 ता 10 की मौजुदा स्थिति में कोई परिवर्तन न करें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी मुश्तर्का खातेदारी है जिसका अभी पक्षकारान के मध्य कोई खाता विभाजन नहीं हुआ हैं। चक 12 एफटीपी ए प0न0 194/243 मु0न0 19 के किला न0 1 मुझ अप्रार्थी को घरू बंटवारा में मिली है जिस पर अप्रार्थी सं0 1 काबिज है एवं उक्त किला में अप्रार्थी का नलकूप भी लगा हुआ है जिसकी अप्रार्थी अपनी भूमि में सिचाई करता है। प्रार्थीया ने इस मध्य में घरू बंटवारा बाबत समस्त तथ्य फर्जी व आधारहीन दर्ज किये है। उपरोक्त वर्णित किला प्रार्थीया व अन्य के कब्जा में नहीं रहा है। प्रार्थीया व अन्य अप्रार्थी के नलकूप पर कब्जा करने की फिराक में है। अप्रार्थी बिमार व्यक्ति है जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीया व अन्य द्वारा अप्रार्थी को तंग परेशान किया जा रहा है। प्रार्थीया बिना खाता विभाजन करवाये विशिष्ट किलाजात पर स्थगन आदेश लेने की कानूनी अधिकारी नहीं है। संयुक्त खाता में विशिष्ट किला नम्बर पर स्थगन आदेश कानूनन नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार स्थगन आदेश के तीनों आधारभूत बिन्दू अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया सव्यय खारीज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 मुश्तर्का खातेदार है। उक्त वर्णित आराजी को लेकर वाद अन्तर्गत धारा 53.188 आरटीए न्यायालय हाजा में जैरकार है जिसमें खाता विभाजन का बिन्दू साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्धारित होना है। उक्त प्रार्थना पत्र 212 आरटीए में केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी उभयपक्ष की संयुक्त खातेदारी है एवं उभयपक्ष रिकोर्डेड खातेदार है। मुश्तर्का खातेदार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि

Scanned with CamScanner

े अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकोर्ड में अलग करवाने का अधिकारी है। जो वाद । साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है। यदि अप्रार्थी द्वारा अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जाता है तो अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। चूंकि एक रिकोर्डेड खातेदार अपने हिस्सा की भूमि का उपयोग–उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। परन्तु बिना खाता विभाजन करवाये सहखातेदार विशिष्ट किलाजात का बैचान नहीं कर सकता। उक्त वाद भूमि संयुक्त खाता की भूमि है जिसमें अप्रार्थी रिकोर्डेड खातेदार है। यदि अप्रार्थी द्वारा अपने हक हिस्सा को रहन बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नहीं होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकोर्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा को ही रहन, बैय किया जा रहा है न की प्रार्थी के हक हिस्से को। उक्त आराजी संयुक्त खाता की भूमि है जिसके विभाजन को लेकर वाद न्यायालय हाजा में जैरकार हैं। उभयपक्ष खाता विभाजन न हो तब तक अपने अपने हिस्से हिस्सा अनुसार भूमि काश्त करने के लिए स्वतंत्र है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया आंशिक स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला वाद विवादित आराजी रोही मौजा चक न0 12 एफटीपी ए के खाता सं0 36/30 की कुल 2.699है0 तथा इसी प्रकार चक 12 एफटीपी ए के खाता सं0 25/20 की कुल 2.699है0 व इसी चक 12 एफटीपी ए के खाता सं0 122/22 की कुल 2.698है0 सयुक्त खातेदारी में एक दूसरे के कब्जा काश्त में जबरन दखलांदाजी न करे व मौके की स्थिति बनायें रखने के साथ–साथ वर्णित आराजी में विशिष्ट किलाजात से बैचान न करें।

निर्णय आज दिनांक 20/5/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्येन्द्रनारायण)
R.A.S
पदेन सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner